


वित्तीय सहायता उपलब्ध है

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडी) के माध्यम से दो समान किसरों में सीधे लाभार्थी के खाते में सब्सिडी की सीमा तक 50% पूँजीगत सब्सिडी दी जायेगी। सब्सिडी की सीमा : 30 लाख रु.



पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

आवेदन की प्रक्रिया



विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए विभाग की वेबसाइट www.dahd.nic.in या www.nlm.udayamimitra.in को देखें या राज्य पशुपालन विभाग से संपर्क करें।



पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

आजीविका से उद्यम विकास की ओर...

सूअर पालन करने वाले उद्यमी के रूप में स्वयं का व्यवसाय कैसे करें



**केंद्र या राज्य सरकार / विश्वविद्यालय के सूअर
ब्रीडिंग फार्मों अथवा स्थानीय किसानों से उत्पन्न
वंश के गुणवत्ता वाले प्रजनन योन्य न्यूनतम
100 शूकरियों और 10 सूअरों के साथ
ब्रीडर फार्म की स्थापना करें**

पात्र संस्थाएं

निजी व्यक्ति / स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) /
किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) /
किसान सहकारिताएं (एफसीओ)
संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और धारा 8 की कंपनियां

पात्रता मानदंड

उद्यमी खुद प्रशिक्षित हो या
परियोजना चलाने के लिए प्रशिक्षित
विशेषज्ञों को नियुक्त किया हो

स्वीकृत ऋण या
स्व-वित्तपोषित परियोजनाओं
में बैंक गारंटी हो

स्वयं की भूमि हो
या लीज पर ली
गई भूमि हो

के गाई सी से संबंधित
दस्तावेज हों

**सूअर पालन उद्यमिता (100 शूकरियों और 10 सूअरों) के तहत वित्त पोषण के
लिए पात्र मदों की सांकेतिक सूची**

क्रम सं.	विवरण	यूनिट
ए.	सूअर के बाड़े का निर्माण	
1	प्रति पशु 20 वर्ग फुट की दर से सूअर के लिए शेड का निर्माण (100 जानवरों के लिए)	2000 वर्ग फीट
2	सूअर इकाई का निर्माण / 20 वर्गफीट प्रति पशु दर से	700 वर्ग फीट
3	फैरोइंग पेन 80 वर्ग फुट प्रति सूअर की दर से 50 सूअरों के लिए (50% सूअरों को फैरोइंग में अनुमति है)	4000 वर्ग फीट
4	पिगलेट के लिए पेन के निर्माण की लागत / 10 वर्ग फीट प्रति पिगलेट, 3000 पिगलेट के लिए	30000 वर्ग फीट
5	स्टोर रूम 500 वर्ग फुट	500 वर्ग फुट
बी.	प्रजनन के लिए पिगलेट की लागत	
1	100 पांच महीने पुराने गिल्ट, करीब 50 किलो के, की लागत	100 यूनिट
2	10 छह महीने पुराने गिल्ट, करीब 60 किलो के, की लागत	10 यूनिट
सी.	अन्य लागत	
1	उपकरण की लागत	110 जानवरों के लिये
2	पिगलेट के लिए उपकरण	3000 यूनिटों के लिये
3	बीमा शुल्क (@7.5%)	110 यूनिटों के लिये
4	पशु चिकित्सा सहायता	110 यूनिटों के लिये

